

**(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTEE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.10(08)/Fin(Rev-I)/2015-16/dsVI/

Dated the _____ 2015

NOTIFICATION

No.10(08)/Fin(Rev-I)/2015-16/dsVI/ .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby make the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010 as following, namely :-

1. **Short Title and Commencement** . (1)These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules 2015.
- (2) They shall come into force with effect from 1st July 2015.
2. **Amendment of rule 152.** – For sub-rule (2) of rule 152 of the Delhi Excise Rules, 2010, the following shall be substituted, namely :-

“(2) Country Liquor - Duty @ 245% of Wholesale Price”

By order and in the name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)

Deputy Secretary-VI (Finance)

Dated the 29/6/ 2015

No.10(08)/Fin(Rev-I)/2015-16/dsVI/ 465
Copy to :-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, New Delhi
3. The Secretary to Finance Minister , Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 5. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site
7. Guard file.


(Ravinder Kumar)

Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व -I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं. एफ.10(08)/वित्त(राज0-1)/2015-16/डीएस-VI/

दिनांक _____ 2015

अधिसूचना

सं. एफ.10(08)/वित्त(राज0-1)/2015-16/डीएस-VI/ - दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में 1 जुलाई, 2015 की तिथि से प्रभावी होगी।
2. नियम 152 में संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152, में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
"2) देशी शराब -शुल्क 245 प्रतिशत की दर से थोक मूल्य"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
उप-सचिव-VI (वित्त)

सं. एफ.10(08)/वित्त(राज0-1)/2015-16/डीएस-VI/465

दिनांक 22/6/ 2015

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख से दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, एल- ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. वेबसाइट।
7. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र कुमार)
उप-सचिव-VI (वित्त)